ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर

पूर्ण सुरक्षित आवासीय महिला विश्वविद्यालय

जानकी
(आशा की किरण)

एक शुरुआत

आज एक नया काम ऐसा करो,
नारी को दो शिक्षा का उपहार।

बेटी का अपने भाई–बहनों की तरह ही माता–पिता (पिता की और साथ ही माता की) की संपत्ति पर समान अधिकार है।

उसका माता–पिता संपत्ति में भाइयों के समान ही अधिकार है। विवाहित बेटी अगर विधवा, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़े जाने पर माता–पिता के घर में रहने का हक मांग कर सकती है।

Address : **Vedant Gyan Valley, Vill. Jharna, Mahla-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur - 303122 (Raj.) INDIA**

महिलाओं के अधिकार एवं अधिनियम

जेवीएन वेदान्त गर्ग
सलाहकार एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

एडिटोरियल
जेवीएन डॉ. संजय छाबड़ा
डीन , फैक्लटि ऑफ लॉ एण्ड गोवरनेन्स

जेवीएन डॉ. बिना दिवान
संचालक, फैक्लटि ऑफ लॉ एण्ड गोवरनेन्स

डिजाइन एण्ड एडिटोरियल
जेवीएन हर्षल भास्कर काले जेवीएन विक्रम सिंह जेवीएन ओमप्रकाश कुमावत

स्टूडेन्ट कोर्डिनेटर, (बी ए एलएलबी 3 सेम)
जेवीएन जारा खान जेवीएन अल्फा वरून जेवीएन नेहा
जेवीएन शालू टेलर जेवीएन प्रीयान्सी गर्ग

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक ऐसे व्यक्ति की सध्दायिक संपत्ति की हस्तारण से संबंधित है।2005 में इस कानून में संशोधन किया गया था कि बेटिों को जन्म से सहदायिक के रूप में शामिल किया जाए जो बेटों के समान अधिकार ओर जिम्मेदारियाँ है।

भारतीय सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम (1956) के अंतर्गत, 11 अगस्त 2022 को (जस्टिस–नजीर और कृष्ण मिस्तारी) ने कहा– लड़कियों को भी पिता की सम्पति में भी अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वों वैवाहित हो या ना हो।

यह निर्णय(विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा) 2020 में किया गया।

भआग १

मुख्य पात्र :– जानकी
जानकी की माँ– सरला
जानकी के पिता– विनोद

कौन होता है उत्तराधिकारी?

वारिस की अवधारणा की कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व भर के अधिकतर कानूनों की तरह भारतीय कानून भी वारिस की अवधारणा को मान्यता देता है। उत्तराधिकारियों में वे व्यक्ति शामिल होते हैं, जो अपने पूर्वजों से कानूनी तौर पर संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होते हैं। यह आर्टिकल भारत में विरासत, वारिस की अवधारणा और संपत्ति के अधिकारों के बारे में आपको समझ देगा।

माँ में बारहवीं में अच्छे अंकों से पास हो गई। मेरा दिल्लीं के सबसे अच्छे महाविद्यालय में दाखिला हो गया है।

माँ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए।

भारतीय अधिनियम

क्या बेटियां शादी के बाद पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती हैं?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) में साल २००५ में संशोधन किया गया था. इसमें प्रॉपर्टी के मामले में बेटियों को बराबर का अधिकार दिया गया था. २००५ से पहले केवल बेटों को ही दिवंगत पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था. जबकि बेटियों को सिर्फ कुंवारी रहने तक. ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद महिला अपने पति की संपत्ति से जुड़ जाती है और उस संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है. अब शादीशुदा और गैरशादीशुदा बेटियों का अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर ही अधिकार है. वे भी अपने भाइयों की तरह समान कर्तव्यों, देनदारियों की हकदार हैं. २००५ में, यह भी फैसला सुनाया गया कि एक बेटी के पास समान अधिकार हैं बशर्ते ९ सितंबर २००५ को पिता और बेटी दोनों जीवित हों.

२०१८ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी अपने मृत पिता की संपत्ति को विरासत में हासिल कर सकती है, भले ही पिता इस तारीख पर जीवित थे या नहीं. यहां, महिलाओं को सहदायिक के रूप में भी स्वीकार किया गया था. वे पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं.

२०२२ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों को अपने माता-पिता की स्वयं अर्जित की गई संपत्ति और किसी भी अन्य संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके वे पूर्ण रूप से मालिक हैं। यह कानून उन मामलों में भी लागू होगा जहां बेटी के माता-पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ के संहिताकरण से पहले ही हो गई हो।